राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2141, 2142 व 2143/2014.....जिला–जयपुर.....
उनवान–मै. दिनेश कलर लैब, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन, जोन–प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2015	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी के ओर से श्री सी.एम.बटवाडा, अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से तीनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी–तृतीय,वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक स्थगन आदेश दिनांक 13.10.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन, संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.07..2014, जो अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 55 के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10, 2010–11 व, 2011–12 के लिये पारित किये गये हैं, में कायम मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान निम्न तालिका में अंकित राशियों पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गई :–	

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित की गई राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
2141/14	7,82,505/–	4,38,378/–	7,60,505/–
2142/14	7,35,502/–	4,38,378/–	7,71,502/–
2143/14	3,12,151/–	1,87,478/–	3,12,151/–

स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी फोटो कलर लैब संचालित करता है,जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रेनबो कलर लैब एवं अदर्स बनाम स्टेट (6 एस टी टी 45) के प्रकरण में निर्णय देते हुए व्यवहारी की कार्य गतिविधि को लेबर (service contract) की श्रेणी में माना है। उनका कथन है कि अधिनियम के अन्तर्गत लेबर कान्ट्रेक्ट पर कर आरोपित करने का क्षेत्राधिकार कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लिए जारी सूचना पत्र की पालना में प्रस्तुत जवाब को स्वीकार कर, सूचना पत्रों को निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों

को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आधार पर प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में होने से स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा सन्तुलन के व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने स्थगन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्थगन प्रदान किया जा चुका है । उक्त के आधार पर उन्होंने स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्षो के पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.07.2014 में रू. 7,82,505/–, रू. 7,35,502/– एवं 3,12,151/–की मांग सृजित की है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त स्थगन हेतु राशियों को विवादित करने अपीलीय अधिकारी द्वारा रू. 4,38,378/–, रू. 4,38,378/– व 1,87,478/– पर स्थगन प्रदान किया है। उक्त अपीलाधीन आदेशों के अनुसार स्थगन हेतु शेष राशि क्रमशः रू. 3,44,127/– रू. 2,97,124/– व 1,24,673/– रहती है जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रमशः रू.7,60,505/–, रू. 7,71,502/– व रू. 3,12,151/– का स्थगन चाहा गया है, जो अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित की गई राशियों के पश्चात स्थगन हेतु शेष रही राशियों से भिन्न है। अतः स्वीकार योग्य नहीं है।

स्थगन प्रार्थना पत्रों की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशियों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई ठोस कारण अपीलाधीन आदेशों दिनांक 13.10.2014 में अंकित नहीं किया गया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना क्रमशः रू. 3,44,127/– रू. 2,97,124/– व 1,24,673/– राशि की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत **(Adequate Security)** प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पभावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य